

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून ।

पत्रांक : 667 / वाद सं० एल-0001/एस-6/2026, दिनांक: 19/5/2026

सेवा में,
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,
देहरादून।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि श्री गिरी तपोवन एनक्लेव कोस-11, रोड़ देहरादून द्वारा स्थल पर प्राधिकरण से बिना तलपट मानचित्र स्वीकृत कराये लगभग 20-25 बीघा भूमि पर डिर्माकेशन कर प्लॉटिंग का कार्य किये जाने के कारण प्राधिकरण द्वारा उत्तराखण्ड (उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973) संशोधन अधिनियम 2009 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत प्राधिकरण में वाद संख्या एल-0001/ एस-6/2026 योजित किया गया है। क्षेत्रीय अभियन्ता की स्थल जांच आख्यानुसार चालान शुदा निर्माण को भू विन्यास को विपक्षी को स्वयं ध्वस्त करने हेतु पत्र सं० 1849 दिनांक 10.03.2026 प्रेषित किया गया था के अनुरूप भी वर्तमान तक ध्वस्तीकरण का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया ऐसी स्थिति में उक्त अवैध निर्माण दिनांक ... 30/05/26 को ध्वस्त किया जाना है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार नियत तिथि को ध्वस्तीकरण की कार्यवाही शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने हेतु संबंधित थानाध्यक्ष को पर्याप्त पुलिस बल (महिला पुलिस बल सहित) उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

पीठासीन अधिकारी / संयुक्त सचिव,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून। 01/05/26

- प्रतिलिपि:-1 नायब तहसीलदार देहरादून, को अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्र०) देहरादून के पत्र सं० 1205/ विविध-जेए/2024 दिनांक 07.11.2024 द्वारा ध्वस्तीकरण एवं सीलिंग के दौरान चयनित स्थल पर शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु नामित किया गया है। कृपया उक्त तिथि को ध्वस्तीकरण कार्यवाही के दौरान उपस्थित रहें।
- 2-पुलिस अधीक्षक, नगर देहरादून को इस आशय से कि नियत तिथि को ध्वस्त की कार्यवाही शान्तिपूर्ण सम्पन्न कराने हेतु पर्याप्त पुलिस बल (महिला पुलिस बल सहित) उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।
- 3-थानाध्यक्ष रायपुर को इस आशय से प्रेषित कि प्राधिकरण स्टाफ के साथ समुचित पुलिस बल (महिला पुलिस बल सहित) उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 4-सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता/अवर अभियन्ता (इलैक्ट्रीकल्स)/समस्त प्रोसेस सर्वर के इस निर्देश के साथ कि नियत तिथि व समय पर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होकर प्रश्नगत अवैध निर्माण को ध्वस्त करने की कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।
- 5-नाजिर को इस निर्देश के साथ कि नियत दिनांक को ध्वस्तीकरण से संबंधित समस्त सामग्री (जे०सी०बी०) संबंधित सहायक अभि०/अव० अभि० को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 6-श्री गिरी तपोवन एनक्लेव कोस-11, रोड़ देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि उक्त निर्माण दिनांक 30/05/26 को प्राधिकरण द्वारा ध्वस्त किया जाना है। विपक्षी नियत तिथि पर स्थल पर उपस्थित रहकर ध्वस्तीकरण की कार्यवाही सम्पादन करवायें। शेष नियम व शर्तें पूर्व प्रेषित पत्र सं० 4768 दिनांक 21.02.2026 के अनुसार मान्य होगी।

पीठासीन अधिकारी / संयुक्त सचिव,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण